

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 110/17

अनवान

1 रामकुंवार पिता बालुलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा

( प्रार्थी )

बनाम

- विष्णु पिता बदीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- नारायण पिता नन्दराम भील उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- मथुरालाल पिता बालुलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- लादु पिता लालुराम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- भंवरलाल पिता अम्बालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- जेठुलाल पिता रामचन्द्र ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- नाथुलाल पिता धन्नालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

( अप्रार्थीगण )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 28.12.2017


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 01.08.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार मण्डल कंकोलिया भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 50 के आ0न0 33/1, 35/2, 160/2, 324/2, 330/2 कुल किता 5 कुल रकबा 10-10 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01.08.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 28.12.2017 को विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार मण्डल कंकोलिया भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 50 के आ0न0 33/1, 35/2, 160/2, 324/2, 330/2 कुल किता 5 कुल रकबा 10-10 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बनेड़ा को 1100/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(रतनलाल रेगर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा